न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– शिवपाल जाट , आर.ए.एस.

वादी :
कैलाश पुत्र श्रवणलाल जाति बावरी निवासी पीलवा हाल परबतसर तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान ।

बनाम

प्रतिवादीगण :
1– मनोहर देवी पुत्री भंवरलाल पत्नी पृथ्वीराज जाति बावरी निवासी मकराना
2– मीरा देवी पुत्री भंवरलाल पत्नी श्रवणराम जाति बावरी निवासी परबतसर
3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार परबतसर भूमिधारी

दावा बाबत :– घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :– श्री राघव शर्मा, अधिवक्ता वादी
:– श्री देवेन्द्र मालाकार , अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
:– श्री जगराम मीणा, राजपैरोकार

मुकदमा नम्बर :– 2021/237 निर्णय दिनांक :– 02.03.2022

निर्णय

1. वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राघव शर्मा ने यह वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम खेदरपुरा के खसरा नम्बर 583 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 6.1400 हैक्टेयर कुल रकबा 6.1600 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 290 रकबा 37–18 बीधा, खसरा नम्बर 290/1 रकबा 0–03 बीधा कुल रकबा 38–01 बीधा स्थित हैं वादग्रस्त कृषि भूमि में स्वर्गीय भंवरलाल पुत्र रामलाल जाति बावरी निवासी कालानाडा (मकराना) हाल परबतसर का 2/3 हिस्सा आया हुआ हैं स्वर्गीय भंवरलाल पुत्र रामलाल जी के कोई जायन्दा पुत्र नही था तथा काफी समय से वादी के साथ ही निवास करते आये हैं तथा स्वर्गीय भंवरलाल जी के कपडे दवाई इत्यादि की समस्त व्यवस्था वादी द्वारा ही की जाती रही थी तथा स्वर्गीय भंवरलाल जी के दो जायन्दा पुत्रीया प्रतिवादी संख्या 1 व 2 है जिनका विवाह स्वर्गीय भंवरलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में कर दिया गया इस कारण उनका वादग्रस्त कृषि भूमि में उजर एतराज नही है वादी के साथ ही स्वर्गीय भंवरलाल जी निवास करते थे तथा समस्त खर्चा स्वर्गीय भंवरलाल जी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

का वादी ही लगातार रूप से वहन करता आया हैं स्वर्गीय भंवरलाल पुत्र रामलाल का स्वर्गवास दिनांक 16–11–2017 को हो गया तथा स्वर्गीय भंवरलाल द्वारा अपनी कृषि भूमि के सम्बन्ध में एक वसीयत इस उद्वेश्य से वादी के पक्ष में तकमिल की गई की वादी द्वारा ही स्वर्गीय भंवरलाल की सेवा सुरश्रा की गई तथा उसकी सम्पति को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद नही हो इस हेतु वादी के पक्ष में वसीयत नॉन जूडिसियल स्टाम्प किमती रूपये 100 पर निष्पादित की गई जिस पर भंवरलाल जी के अगुष्ट निशान है तथा दो गवाहान के हस्ताक्षर है तथा स्वर्गीय भंवरलाल जी ने अपने खसरा नम्बर 290 व 290/1 में 2/3 हिस्से की वसीयत वादी के पक्ष मे दिनांक 20–3–2013 को तकमिल की तथा उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक श्री मूलचन्द सोलकी द्वारा तस्दीक किया हुआ हैं तथा उक्त वसीयत स्वर्गीय भंवरलाल जी द्वारा अपनी पुत्रीयो की सहमति से वादी के पक्ष में तकमिल की गई तथा वादी व स्वर्गीय भंवरलाल जी कम पढे लिखे होने के कारण उक्त वसीयत नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई तथा नोटेरी पब्लिक द्वारा वादी व स्वर्गीय भंवरलाल को यह नसीहत नही दी गई की उक्त वसीयतनामा को रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है तथा वादी उक्त कृषि भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता आ रहा हैं तथा स्वर्गीय भंवरलाल का दिनांक 16–11–2017 को स्वर्गवास होने के पश्चात स्वर्गीय भंवरलाल के समस्त सामाजिक किर्याक्रम वादी द्वारा निर्वहन किये गये तथा स्वर्गीय भंवरलाल की पाग भी वादी के बाधी गई तथा सम्पूर्ण खर्चा वादी द्वारा वहन किया गया तथा स्वर्गीय भंवरलाल के पूरे दिन वादी द्वारा पाले गये इसलिये वादी उक्त वादग्रस्त आराजियात पर काबिज चला आ रहा है तथा काश्त करता आ रहा हैं इसलिये वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजियात में स्वर्गीय भंवरलाल पुत्र रामलाल के स्थान पर वादी का नाम का इन्द्राज कर राजस्व रेकर्ड में घोषणा करवाने की इस्तदुआ चाही है।

2. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 19–1–2022 को राजीनामा प्रस्तुत किया तथा वादी के वाद को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने स्वीकार किया तथा राजीनामा तस्दीक किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से राजहित निहित नही होने से राजपैरोकार ने जवाब प्रस्तुत नही किया जिस पर तहसीलदार का जवाब बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

3. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श 1 सम्वत् 2074–77 की प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा नम्बर 583, 584 की , प्रदर्श 2 मृत्यु प्रमाण पत्र भंवरलाल पुत्र रामलाल का जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 2 ए तथा मूल वसीयत प्रदर्श 3 जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 3ए, जिस पर वादी कैलाश व मृतक भंवरलाल की फोटो लगी हुई हैं जिस पर एक्स स्थान पर भंवरलाल की अगुष्ट निशानी तथा ए से बी स्थान पर वादी के हस्ताक्षर , सी से डी स्थान पर गवाह बन्नाराम व ई से एफ स्थान पर गवाह रूपाराम के हस्ताक्षर हैं प्रस्तुत किये तथा गवाह पीडब्ल्यू 1 कैलाश, पीडब्ल्यू 2 बन्नाराम , पीडब्ल्यू 3 रूपाराम, के शपथ पत्र प्रस्तुत किये तथा न्यायालय में उपस्थित होकर मुख्य प्रशिक्षण मे उपस्थित हुये तथा बयान कलम बद्व किये गये।

4. वादी ने प्रदर्श 3 वसीयत जिसकी फोटो प्रति प्रदर्श 3ए जिस पर एक्स स्थान पर भंवरलाल की अगुष्ट निशानी होना तथा ए से बी वादी कैलाश व सी से डी स्थान पर गवाह बन्नाराम व ई से एफ स्थान पर गवाह रूपाराम के हस्ताक्षर होने का उल्लेख किया तथा गवाह पीडब्ल्यू 2 व 3 ने भी प्रदर्श 3 पर अपने हस्ताक्षर होने का उल्लेख किया तथा एक्स स्थान पर अगुष्ट निशानी भंवरलाल की उनके सामने करने का उल्लेख किया तथा भंवरलाल व वादी की फोटो चस्पा होने का उल्लेख किया तथा वादग्रस्त आराजियात पर काबिज होने का उल्लेख किया तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात से लगातार काबिज चले आ रहे है तथा काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व रेकर्ड में वसीयत पंजीकृत नही होने से माननीय न्यायालय के जरिये खातेदारी की घोषणा करवाने के अधिकारी है।

5. वादीगण के वाद पर उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानो का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर)

6. वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार ग्राम खेदरपुरा के खेदरपुरा के खसरा नम्बर 583 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 6.1400 हैक्टेयर कुल रकबा 6.1600 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 290 रकबा 37–18 बीधा, खसरा नम्बर 290/1 रकबा 0–03 बीधा कुल रकबा 38–01 बीधा भूमि भंवरलाल पुत्र रामलाल का 2/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रदर्श –3 ए वसीयतनामा प्रस्तुंत किया है जो अधिवक्ता श्री

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

मूलचन्द सौंलकी द्वारा नोटेरी सुदा है जिसमें गत खसरा नम्बर खसरा नम्बर 290 रकबा 37–18 बीधा, खसरा नम्बर 290/1 रकबा 0–03 बीधा कुल रकबा 38–01 बीधा भूमि वादी कैलाश के नाम वसियत किया जाना अंकित है। प्रतिवादी 1 , 2 जो खातेदार भंवरलाल पुत्र रामलाल की जाईन्दा पुत्रियां ने राजीनामा पेश कर स्वीकार किया है कि ग्राम खिदरपुरा के खसरा नम्बर 583 रकबा 0.0200 हैक्टयर, व खसरा नम्बर 584 रकबा 6.14 हैक्टयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 290, 290/1 है जिसमें हम प्रतिवादीगण के पिता भंवरलाल पुत्र रामलाल का 2/3 हिस्से की खातेदारी दर्ज है हमारे पिता भंवरलाल ने दिनांक 16.11.2017 को वादी कैलाश के पक्ष में एक वसीयत तकमील करवायी है जो सही है वसीयत के दिन से ही वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्तकार है जिसमें वादी कैलाश को खातेदार घोषित किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है बल्कि हम प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है। वादी व प्रतिवादी 1, 2 के अतिरिक्त स्व. भंवरलाल के अन्य कोई वारिसान नहीं है, तथा हम प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है कि उक्त भूमि के खातेदार भंवरलाल पुत्र रामलाल के स्थान पर वादी कैलाश पुत्र श्रवणलाल को खातेदार घोषित किया जाता है तो हमारी पूर्ण सहमति है, इस सम्बन्ध में वादी ने गवाह बन्नाराम पुत्र हनुमानराम जाति बावरी रूपाराम पुत्र शंकरलाल बावरी के शपथ पत्र पेश किये है जो वादी व प्रतिवादी 1, 2 के रिस्तेदार है ने स्वीकार किया है कि स्व. भंवरलाल वादी कैलाश के पास ही निवास करते आ रहे है तथा उसकी सेवा व सभी सामजिक कार्यो का निर्वहन किया है जिसको खोतेदार भंवरलाल पुत्र रामपाल की जाईन्दा पुत्रियां प्रतिवादी 1, 2 ने स्वंय ने राजीनामा पेश कर स्वीकार किया है। जिससे वादी का वाद् साबित होता है स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम खेदरपुरा के खेदरपुरा के खसरा नम्बर 583 रकबा 0.0200 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 584 रकबा 6.1400 हैक्टेयर कुल रकबा 6.1600 हैक्टेयर भूमि में दर्ज भंवरलाल पुत्र रामलाल के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं तदनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर रेकार्ड दुरूस्त किया जाता है डिक्री पर्चा जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/3/22

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर